मुलतानीमल मोदी कॉलेज

कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय

(चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के द्वारा मूल्यांकित – बी+)

मोदीनगर – 201 204

★ बी०ए० ★ बी०एस–सी० ★ बी०कॉम०

★ एम०ए० ★ एम०एस–सी० ★ एम०कॉम०

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

★ बी०कॉम० ★ बी०बी०ए० ★ बी०सी०ए०

★ एम०एस–सी (बायोटैकनोलॉजी)

NIELIT (DOEACC) पाठ्यक्रम : 'ओ' लेवल

★ IGNOU ★ UPRTOU

विवरणिका

2023-2024

PROSPECTUS

MULTANIMAL MODI COLLEGE

MODINAGAR - 201 204

Email : info@mmcmodinagar.ac.in

Website : www.mmcmodinagar.ac.in

✆ 01232-223620, 251025, Fax No. : 01232-223620

(A NAAC ACCREDITED COLLEGE B+)

प्रो० (डॉ०) देवेन्द्र कुमार मोदी

अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति

प्रो० दीपक कुमार अग्रवाल

का० प्राचार्य एवं संरक्षक

मुलतानीमल मोदी कॉलेज मोदीनगर (ऊ प्र०)

वर्ष 1933 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस अंचल को मील के पत्थर के समान सिद्ध हुआ जब मोदी परिवार ने ग्राम बेगमाबाद की भूमि पर मोदी शुगर मिल की स्थापना की। धीरे-धीरे अनेक उद्योग यहाँ स्थापित किये गये। स्थापित उद्योगों/सेवा/कृषि क्षेत्र में लगे हुए कामगार एवं किसान आदि परिवारों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मोदी हाईस्कूल (वर्तमान में डॉ० के० एन० मोदी साइन्स एवं कॉमर्स कॉलिज), मुलतानीमल मोदी कॉलेज आदि के साथ-साथ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स डिग्री कॉलिज, तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों की स्थापना की। तत्पश्चात् वर्ष 2010 में राजस्थान के निवई में डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना की।

वर्ष 1957 में उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर भारत का प्रतिष्ठित संस्थान—मुलतानीमल मोदी कॉलेज की स्थापना मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलिज सोसाइटी के अन्तर्गत हुई। जिसमें प्रारम्भ में केवल 100 विद्यार्थी एवं वर्तमान में 3900 विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोटैक्नोलॉजी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबन्धन सहित 18 विषयों में स्नातक एवं स्नाताकोतर कक्षायें है। महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय है, जिसमें सवा लाख पुस्तकें हैं।

शायद ही बुनियादी ढाँचे में इस महाविद्यालय के समकक्ष समूचे प्रदेश में कोई अन्य महाविद्यालय हो। एक विशाल तिमंजिला भवन जिसमें विज्ञान के समस्त विषयों की प्रयोगशालायें, व्याख्यान कक्षों के साथ-साथ 30 अन्य कक्ष है। प्रत्येक विभाग हेतु विभागीय कक्ष, कम्प्यूटर व विभागीय पुस्तकालय है। एक विशाल केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, छात्रा कक्ष, कैन्टीन व वाहन स्थल भी है। महाविद्यालय में एक विशाल खेल के मैदान के साथ समस्त क्रीडा एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हैं। विज्ञान प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं तथा सभी विभागों में शोध सुविधायें उपलब्ध हैं। अनेक शोध छात्र विभिन्न विभागों में विद्वान प्राध्यापकों के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय योग्यता सूची में भी हमारे छात्र अग्रणी रहते हैं। क्रीडा एवं खेलकूद के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों के साथ ही अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय के सम्मान को बढ़ाया है।

सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद के तत्वाधान में महाविद्यालय में अखिल भारतीय स्तर पर मुलतानीमल मोदी अन्तर विश्वविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर की अनेकों सांस्कृतिक/साहित्यिक गोष्ठियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष महाविद्यालय में वार्षिक समारोह गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है जिसमें स्व० सेठ रायबहादुर मुलतानीमल मोदी जी की स्मृति में अपनी कक्षा के अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक के रूप में एक कलाई घड़ी, पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाते हैं।

- सत्र 2015-16 से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय परीक्षा में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण दिव्यांगों हेतु डॉ० केदारनाथ मोदी छात्रवृत्ति (छात्र), पूज्य माँ जी गिन्नी देवी मोदी छात्रवृत्ति (छात्रा) प्रारम्भ की गई है।
- सत्र 2009-2010 से अनिवासी भारतीय छात्रवृत्ति "रतन लाल-सावित्री देवी गुप्ता स्मृति छात्रवृत्ति एवं पारितोषक" दिये जा रहे हैं।

महाविद्यालय अपनी स्थापना के गौरवमयी इतिहास के साथ सत्र 2007-2008 में 50 वर्ष पूरे कर चुका है। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय में स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया गया। जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया।

शिक्षा प्रणाली—

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर त्रैवार्षिक (10+2+3) शिक्षा प्रणाली लागू है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में सैमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर भी सैमेस्टर प्रणाली सत्र 2021-22 से लागू की गई है।

अध्ययन के विषय:

(अ) कला संकाय:

बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, अर्थशास्त्र) — कुल सीटें—220

बी.ए. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उक्त मुख्य विषयों में से कोई तीन विषयों का ही चयन किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा भाषा विषय का चयन किया जाता है तो अधिकतम दो भाषाओं का चयन करते हुए कुल तीन विषय ही चयनित किए जा सकते हैं।

उक्त तीन मुख्य (Major) विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को किसी अन्य विषय/संकाय से एक-एक माइनर इलैक्टिव पेपर प्रथम व द्वितीय वर्ष के किसी एक सैमिस्टर में पढ़ना होगा। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उसे एक स्किल कोर्स तथा एक को-करिकुलर कोर्स का भी प्रत्येक सैमिस्टर में अध्ययन करना होगा।

एम.ए. (हिन्दी-कुल सीटें 60, अंग्रेजी-कुल सीटें 60, अर्थशास्त्र-कुल सीटें 60, राजनीतिशास्त्र-कुल सीटें 60, इतिहास-कुल सीटें 60, संस्कृत-कुल सीटें 60)

(आ) विज्ञान संकाय :

(1) बी० एस-सी० : (निम्नलिखित में से कोई एक विषय समूह (Combination) लिया जा सकता है।)

1. रसायन, वनस्पति तथा जन्तु विज्ञान (कुल सीटें 120)
2. भौतिकी, रसायन तथा गणित (कुल सीटें 80)
3. भौतिकी, गणित तथा सांख्यिकी (कुल सीटें 40)
4. बी.सी.ए. (60 सीट) (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता)

उक्त तीन मुख्य (Major) विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को किसी अन्य विषय/संकाय से एक-एक माइनर इलैक्टिव पेपर प्रथम व द्वितीय वर्ष के किसी एक सैमिस्टर में पढ़ना होगा। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उसे एक स्किल कोर्स तथा एक को-करिकुलर कोर्स का भी प्रत्येक सैमिस्टर में अध्ययन करना होगा।

नोट : बी.एस-सी. प्रथम में इच्छुक प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय समूह में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑन-लाइन पंजीकरण कराना होगा। स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया होगी।

(2) एम० एस-सी० :

रसायन-कुल सीटें 20, वनस्पति विज्ञान-कुल सीटें 20, जन्तु विज्ञान-कुल सीटें 20, भौतिक विज्ञान-कुल सीटें 20, सांख्यिकी-कुल सीटें 20, गणित-कुल सीटें 60, बायोटैक्नोलॉजी-कुल सीट 30 (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत)।

नोट : (i) एस.एस-सी. प्रथम में इच्छुक प्रवेशार्थी एक से अधिक विषय में यदि आवेदन करना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑन-लाइन पंजीकरण कराना होगा।

(ii) विज्ञान संकाय के सभी विद्यार्थियों का प्रयोगशाला में स्वयं का क्रय किया गया सफेद Apron पहनकर आना अनिवार्य है।

(इ) वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकायः

(1) बी० कॉम० (कुल सीटें-120)

(2) बी०बी०ए० (कुल सीटें-60) (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता)

(3) एम० कॉम० (कुल सीटें-60)

बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०कॉम० विषय से उत्तीर्ण करने वाले छात्र यदि अन्य कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो अलग-अलग ऑन लाइन पंजीकरण करना होगा। स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया होगी।

उक्त तीन मुख्य (Major) विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को किसी अन्य विषय/संकाय से एक-एक माइनर इलैक्टिव पेपर प्रथम व द्वितीय वर्ष के किसी एक सैमिस्टर में पढ़ना होगा। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत उसे एक स्किल कोर्स तथा एक को-करिकुलर कोर्स का भी प्रत्येक सैमिस्टर में अध्ययन करना होगा।

(ई) अन्य दूरस्थ पाठ्यक्रमः

संस्थागत अध्ययन के साथ IGNOU, UPRTOU एवं NIELIT (Formerly DOEACC) के कोर्स में प्रवेश लिये जा सकते हैं। विवरण अगले पृष्ठों पर देखें)। यह कोर्स अतिरिक्त योग्यता हेतु लेने की सलाह दी जाती है। आप इस सुविधा से लाभान्वित हों।

विषय चयनः

विद्यार्थियों को विषय चयन करते समय सावधानी रखनी चाहिये। एक बार महाविद्यालय द्वारा गिये गये विषयों में परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक कक्षा/कोर्स में प्रवेश हेतु अलग-अलग आवेदन एवं वि.वि. से पंजीकरण होना अनिवार्य है।

प्रवेश प्रक्रियाः

1. स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया—

क. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की वेबसाइट ccsuweb.in पर प्रवेश हेतु पंजीकरण कराने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा ही योग्यता सूची/मैरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। मैरिट लिस्ट में प्रवेशार्थी का नाम आने पर प्रवेशार्थी को महाविद्यालय से प्रवेश विवरणिका/ Prospectus नकद रु. 100.00 के भुगतान पर क्रय करनी होगी। विवरणिका में संलग्न प्रवेश फार्म को

पूर्ण भरते हुये साथ में निम्न प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य है–

1. हाई स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
2. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
3. विगत विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र, तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइज्ड) जारी होना आवश्यक है यदि प्रवेशार्थी आरक्षित श्रेणी का है।
5. आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइज्ड) जारी होना आवश्यक है (तीन वर्ष से ज्यादा पुराना न हो)।
6. आधार कार्ड की प्रति (स्व–प्रमाणित)।
7. यदि किसी प्रवेशार्थी ने अधिभार (Weightage) का लाभ प्राप्त किया है तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया स्व सत्यापित प्रति।
8. प्रवेशार्थी को सभी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे ताकि प्रवेश स्वीकृति के लिये सभी मूल पत्रों की जाँच की जा सके।
9. यदि अभ्यर्थी का नाम प्रवेश हेतु मैरिट में आ जाता है, परन्तु अभ्यर्थी सम्बन्धित पत्राजात प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. रोवर्स–रेंजर्स का अधिभार का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान तथा तृतीय सोपान के प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
11. कक्षा / विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम नहीं होगी, इस आशय का घोषणा पत्र प्रवेश फार्म के साथ जमा करना होगा। घोषणा पत्र प्रवेश फार्म के साथ संलग्न है।
12. विद्यार्थियों को प्रवेश फार्म, घोषणा पत्र, परिचय पत्र, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी फार्म पर एक ही तरह का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। अलग–अलग फोटो का प्रयोग न करें।
13. **Migration Certificate मूल रूप में परीक्षा फार्म के साथ ही जमा करना होगा प्रवेश फार्म के साथ नहीं।**

ख. प्रवेश फार्म एवं सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर प्रवेशार्थी को विवरणिका में दी गयी प्रवेश समिति के सम्बन्धित संयोजक के पास प्रवेश स्वीकृति हेतु जाना होगा ताकि प्रवेश संयोजक समस्त प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें और सही पाये जाने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत किया जा सके।

ग. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय/शासन के नवीन आदेशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रत्येक माह शासन/विश्वविद्यालय को ऑन लाइन प्रेषित की जायेगी। अत: विद्यार्थी अपने शिक्षकों के सम्पर्क में रहें। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75% से कम पायी जाती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी/अभिभावक को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा, कि यदि विद्यार्थी की उपस्थिति कक्षा/विषय में 75% से कम होती है और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रखा जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी/अभिभावक की होगी।

घ. प्रवेश स्वीकृत होने के पश्चात् विद्यार्थी को चार प्रतियों में फीस की रसीद दी जायेगी जोकि विद्यार्थी को Union Bank of India की कालेज के सामने स्थित शाखा में जमा करते हुए बैंक से प्राप्त दो प्रतियों में से एक विद्यार्थी प्रति अपने पास रखनी होगी तथा शेष कालेज प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी और इसके उपरान्त परिचय–पत्र (I-Card) जारी किया जायेगा।

च. विद्यार्थी को परिचय पत्र पर चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर कराने हेतु निम्न प्रक्रिया पूरी करनी होगी–

2. परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया–

क. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ वेबसाइट ccsuweb.in पर प्रवेश हेतु पंजीकरण कराने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा ही योग्यता सूची/मैरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। मैरिट लिस्ट में प्रवेशार्थी का नाम आने पर प्रवेशार्थी को महाविद्यालय से प्रवेश विवरणिका/ Prospectus नकद रु. 100.00 के भुगतान पर क्रय करना होगा। विवरणिका में संलग्न प्रवेश फार्म को पूर्ण भरते हुये साथ में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे–

1. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका की छाया प्रति।
2. यदि स्नातक अन्य महाविद्यालय (मुलतानीमल मोदी कॉलिज, मोदीनगर के अतिरिक्त) से उत्तीर्ण की है तो स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश स्वीकृति के समय मूल रूप से अनिवार्य रूप में देना होगा।

3. जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइज्ड) जारी होना आवश्यक है यदि प्रवेशार्थी आरक्षित श्रेणी का है।
4. आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा (कम्प्यूटराइज्ड) जारी होना आवश्यक है (तीन वर्ष से ज्यादा पुराना न हो) स्व सत्यापित प्रस्तुत करें।
5. यदि किसी प्रवेशार्थी ने अधिभार (Weightage) का लाभ प्राप्त किया है तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6. स्नातक कक्षाओं में प्राप्त भारांक का लाभ ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय होगा।
7. प्रवेशार्थी को सभी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे ताकि प्रवेश स्वीकृति के लिये सभी मूल पत्रों की जाँच की जा सके।
8. यदि अभ्यर्थी का नाम प्रवेश हेतु मैरिट में आ जाता है, परन्तु अभ्यर्थी सम्बन्धित पत्राजात प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. विद्यार्थियों को प्रवेश फार्म, घोषणा पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी फार्म पर एक ही तरह का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। अलग-अलग फोटो का प्रयोग न करें।

ख. प्रवेश फार्म एवं सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर प्रवेशार्थी को विवरणिका में दी गयी प्रवेश समिति के सम्बन्धित संयोजक के पास प्रवेश स्वीकृति हेतु जाना होगा ताकि प्रवेश संयोजक समस्त प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें और सही पाये जाने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत किया जा सके। प्रमाण पत्र उपर्युक्त न पाये जाने पर प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।

ग. प्रवेश स्वीकृत होने के पश्चात् विद्यार्थी को चार प्रतियों में फीस की रसीद दी जायेगी जोकि विद्यार्थी को Union Bank of India की कालेज के सामने स्थित शाखा में जमा करते हुए बैंक से प्राप्त दो प्रतियों में से एक विद्यार्थी प्रति अपने पास रखनी होगी तथा शेष कालेज प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी और इसके उपरान्त परिचय-पत्र (I-Card) जारी किया जायेगा।

3. स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रवेश प्रक्रिया :

स्नातक कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के तथा परास्नातक कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धित संयोजकों द्वारा सीधे स्वीकृत किये जायेंगे। प्रवेश हेतु विवरणिका कार्यालय से रु. 100 के नकद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

4. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया—

क. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन करने हेतु महाविद्यालय का नोटिस बोर्ड/वेबसाइट देखें ताकि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यक्रमानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराया जा सके।

ख. विद्यार्थी को बैंक में अपने नाम से बचत खाता खोलना होगा ताकि छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र पर बैंक खाता संख्या अंकित हो सके। यदि विद्यार्थी का खाता जिला गाजियाबाद में किसी भी बैंक में है तो उसे नवीन खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक की छायाप्रति छात्रवृत्ति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

ग. विद्यार्थी को तहसील द्वारा कम्प्यूटराइज्ड जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना अमान्य होगा।

घ. विद्यार्थी का तहसील द्वारा कम्प्यूटराइज्ड जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

ङ. स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

च. स्नातक कक्षाओं के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं विगत वर्ष की अंकतालिका की छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

छ. विद्यार्थी को शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र की छाया प्रति छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

ज. तहसील द्वारा कम्प्यूटराइज्ड जारी आय/जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार होंगे।

झ. आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी तथा आधार कार्ड विद्यार्थी के मोबाइल फोन से लिंक होना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी छात्रवृत्ति फॉर्म Online नहीं भर सकेगा।

क्रम संख्या ख-झ तक कागजात उपलब्ध न होने के कारण छात्रवृत्ति फार्म स्वीकार नहीं होगा।

5. अन्य—

क. शुल्क की रसीदें संभाल कर रखें। किसी भी समय उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रवेश शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिचय पत्र एवं लाईब्रेरी कार्ड जारी होगा।

ख. विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली कालिज/वि.वि. वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश नियमावली में उद्धृत नियमों का पालन किया जायेगा।

ग. विश्वविद्यालय का परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध होगा। जबकि महाविद्यालय से सम्बन्धित सामान्य जानकारी वेबसाइट www.mmcmodinagar.ac.in पर उपलब्ध होगी।

घ. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनको भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देनी होगी।

ङ. प्रवेश प्रक्रिया में अधिक दिन लगते हैं **अथवा किसी अन्य कारणवश शिक्षण दिवस** कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षायें लगाकर की जायेगी।

च. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी एवं अध्ययनरत छात्र/छात्रा के निधन पर शासनादेशों के अनुपालन में की जायेगी।

छ. चौ॰ चरण सिंह विश्वविद्यालय के नियमानुसार यदि किसी छात्र की उपस्थिति किसी एक विषय में 75% से कम रह जायेगी तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। छात्रों की उपस्थिति की गणना के लिए वादनों की संख्या उस छात्र की प्रवेश तिथि की उपेक्षा करते हुए सत्रारम्भ के प्रारम्भ दिन से ही ली जायेगी। अभिभावक इस दिशा में सतर्क रहें।

विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन :

परीक्षा फार्म, प्रवेश-प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भरे जाते हैं। परीक्षा फार्म के साथ ही विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भी प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को भरने होंगे। अन्य कक्षाओं में गत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को भी विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परीक्षा फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना होगा।

टाइम टेबिल:

(1) टाइम टेबिल से सम्बन्धित सूचनाएँ विभागीय सूचना पट पर देखें।

(2) टाइम टेबिल के सम्बन्ध में महाविद्यालय छात्रों की समय की प्राथमिकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

परिचय पत्र (Identity Card)

(1) परिचय पत्र विद्यार्थी को इस महाविद्यालय की सदस्यता को प्रमाणित करता है। यह प्रवेश के पश्चात् महाविद्यालय से छात्र/छात्रा को लेना होगा।

(2) यह केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य है।

(3) लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने के लिए भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है। परिचय पत्र के प्रस्तुत करने पर ही विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जा सकेगी।

(4) उन सभी स्थानों और अवसरों पर जहां इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ही उपस्थित होने का अधिकार है, यह परिचय पत्र विद्यार्थी के पास होना आवश्यक है। अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है। परीक्षा मैं बैठने के लिए भी परिचय पत्र की आवश्यकता होगी।

(5) महाविद्यालय के बाहर अन्य अवसरों पर भी परिचय पत्र की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपने हित में महाविद्यालय का परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिये।

(6) परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में प्राचार्य को लिखित रूप में सूचित करते हुए अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा रु. 50/- के भुगतान पर डुप्लिकेट परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकता है। रसीद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

(7) महाविद्यालय शुल्क रसीद खो जाने पर विद्यार्थी को रु. 50/- के भुगतान पर डुप्लीकेट शुल्क रसीद (छाया प्रति) जारी की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में प्रवेश-सम्बन्धी दिशा निर्देश

National Education Policy 2020: Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को

जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणी:

- ⋆ यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 पर सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर लागू होगी।

2. प्रवेश की व्यवस्था:

- ⋆ विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुन: पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आंवटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- ⋆ पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित विषय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।
- ⋆ विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- ⋆ छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- ⋆ तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- ⋆ बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना हेगा।
- ⋆ तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना हो गा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यत: अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- ⋆ कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- ⋆ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
- ⋆ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3×4= 12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा।
- ⋆ स्नातक स्तर के प्रत्यके विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ: सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- ⋆ इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

3. कक्षाओं हेतु समय-सारिणी:

- ⋆ सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारेभ होने से पूर्व अपनी समय-सारिणी (Time Table) तैयार कर लें। जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- ⋆ सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- ⋆ तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित गौण पेपर (Minor Elective Paper) की कक्षाओं के लिये कोई एक ही वादन (Period) समय-सारिणी में निर्धारित किया जाये जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने-अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार इन विषयों की परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिये एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

- ⋆ विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- ⋆ विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- ⋆ विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

5. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

- ⋆ सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- ⋆ प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- ⋆ विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट (न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- ⋆ एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विशविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- ⋆ यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- ⋆ द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- ⋆ तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- ⋆ यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pe-Requisite) की

आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यत: इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

- ⋆ यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुन: जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुन: सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

6. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

- ⋆ क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- ⋆ परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ⋆ छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुन: कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ।

- ⋆ विद्यार्थी यू0जी0सी0/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होंगे।
- ⋆ विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

8. परीक्षा व्यवस्था:

- ⋆ सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- ⋆ सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- ⋆ 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यकमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- ⋆ असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- ⋆ सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

9. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है-

- ⋆ स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- ⋆ द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- ⋆ तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- ⋆ प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- ⋆ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

10. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular):

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा-

- ⋆ प्रथम सेमेस्टर : खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- ⋆ द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- ⋆ तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Enironmental Studies)
- ⋆ चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Eduaction and Yoga)
- ⋆ पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awereness)
- ⋆ षष्ठ सेमेस्टर : संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- ⋆ स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

महाविद्यालय पत्रिका :

महाविद्यालय में प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई है। जिसके अन्तर्गत वार्षिक पत्रिका 'ऋतम्भरा' व त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है। वार्षिक पत्रिका 'ऋतम्भरा' में महाविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्र-छात्राओं के मौलिक विचार/कविता/व्यंग व अन्य साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है त्रैमासिक समाचार-पत्र के माध्यम से महाविद्यालय की वर्ष-भर शैक्षणिक, साहित्यिक एवम् अन्य गतिविधियों को प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन विभाग का उद्देश्य महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में साहित्य लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना है।

शोध अध्ययन/जूनियर/सीनियर फैलोशिप :

महाविद्यालय में समस्त विषयों में शोध अध्ययन की सुविधा प्राप्त है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने उच्च शिक्षा में प्रवक्ता की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता / विश्वविद्यालय शोध की प्रवेश परीक्षा UGC/CSIR अथवा अन्य किसी मान्य विधिक संस्थान एवं जूनियर फैलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो शोध हेतु अर्ह है। ऐसे शोधार्थी को निम्न नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा—

1. शोधार्थी ने उच्च शिक्षा में अध्यापन की न्यूनतम अर्हता के साथ-साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश पंजीकरण कराया हो।

2. शोध कार्य हेतु संस्थागत प्रवेश लेना होगा लेकिन उसे शोध/अध्यापन करने के अतिरिक्त महाविद्यालय की किसी अन्य गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध होगा। छात्र-संघ चुनाव की स्थिति में शोध-छात्र स्वयं को छात्र के समकक्ष नहीं मानेंगे और न ही किसी पद पर चुनाव लड़ सकेंगे।

3. शोध-कार्य केवल नियमित शोधार्थी के रूप में किया जा सकेगा तथा शोध समय में न्यूनतम निर्धारित अध्यापन करना अनिवार्य होगा। अध्यापन कार्य हेतु किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

4. शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता/शोध-वृत्ति प्रदान करने वाली संस्थाओं से आर्थिक सहायता/शोध-वृत्ति प्राप्त की जा सकती है।

5. शोधार्थी को प्रवेश नियमों का अनुपालन करते हुए शोधग्रंथ मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व कम से कम दो शोधपत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने होंगे। **जिसमें कम-से-कम एक शोध पत्र संदर्भित (Referred) जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए। साथ ही कम-से-कम दो पेपर (शोध कार्य समय में) संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत करने होंगे। शोध पत्र, शोध ग्रन्थ की हार्ड कॉपी Final Viva-Voce के समय महाविद्यालय में देनी होगी।**

6. शोधार्थी को शिक्षकों के समान ही आचार संहिता का पालन करना होगा।

7. शोधार्थी के द्वारा शोध अवधि में यदि कोई अनुचित आचरण किया जाता है तो प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

8. शोध-छात्र, जूनियर/सीनियर फैलोशिप प्राप्त शोधार्थी को प्रतिदिन महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा एवं उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करने होंगे।

9. शोध/जूनियर/सीनियर फैलोशिप प्राप्त होने पर शोध-छात्रवृत्ति/मानदेय तभी निर्गत किया जायेगा, जब सम्बन्धित माह की उपस्थिति गाइड/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित/सत्यापित की जायेगी।

10. शोध/जूनियर/सीनियर फैलोशिप प्राप्त अभ्यर्थियों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में लागू सम्बन्धित अवकाश/वित्तीय नियमों का अनुपालन करना होगा।

अनुशासन/एन्टी रैगिंग समिति :

माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के पत्रांक 746/सत्तर-1-2009/उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26 मार्च 2009 द्वारा रैगिंग पर पूर्ण निषेध है। छात्रों की संलिप्तता पर कठोर दण्ड का प्राविधान है। रैगिंग सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में एक एन्टी रैगिंग समिति कार्यरत है।

महाविद्यालय/विभागीय परिषद :

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में विभागीय परिषद् का गठन किया गया है। परिषद के कार्य समय-समय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, सेमीनार, अध्ययन एवं अध्यापन शिक्षण गतिविधियाँ एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को विभागीय परिषद का सदस्य बनना होगा। विद्यार्थी सम्बन्धित जानकारी विभागाध्यक्ष/परिषद् प्रभारी से प्राप्त करें। परिषदों में सुगम प्रशासन हेतु महाविद्यालय परिषद् गठित है जिसके समन्वयक डॉ. के. के. शर्मा है।

महाविद्यालय छात्र-संघ :

छात्र संघ का गठन लोकतान्त्रिक भावनाओं एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास हेतु किया जाता है। छात्र संघ का गठन उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सामूहिक गुप्त मतदान प्रक्रिया से लिंगदोह समिति के सुझावों के अन्तर्गत किया जाता है। नवगठित छात्र-संघ का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष का होता है जोकि तीस जून को समाप्त हो जाता है।

छात्र कल्याण प्रकोष्ठ :

छात्र कल्याण प्रकोष्ठ विद्यार्थियों के कल्याण हेतु गठित किया गया है इसमें निर्धन विद्यार्थी शुल्क में छूट हेतु, आर्थिक सहायता एवं/अथवा बुक बैंक से किताबें प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं तथा प्रकोष्ठ द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय अनुसार विद्यार्थी को सुविधा दी जायेगी। छात्र कल्याण प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ० विवेक शील हैं।

महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ :

महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ गठित है। महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. वन्दना शर्मा हैं। महाविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक/कर्मियों एवं छात्राओं हेतु सुविधाओं एवं उनके शैक्षणिक तथा अधिकारों के प्रति सजगता रखना प्रकोष्ठ का कार्य है। समस्त सम्बन्धित से अपेक्षा की जाती है कि अपनी किसी भी शिकायत के निराकरण हेतु प्रकोष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप में अवगत करायें ताकि तत्काल उनका निराकरण हो सके।

सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद :

महाविद्यालय में परिसंवाद संगोष्ठियों, विचार, टिप्पणियों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के रूप में विविध सांस्कृतिक/शैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं जिनमें अध्यापक और विद्यार्थी भाग लेते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश प्राप्ति के बाद परिषद् के अधिकारियों से सम्पर्क कर अपनी अभिरुचि को बतायें ताकि वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो सके।

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थी प्रकोष्ठ :

महाविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों की सुविधा हेतु इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। सम्बन्धित विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शैक्षिक विकास हेतु प्रकोष्ठ से लगातार सम्पर्क में रहें। महाविद्यालय में इस वर्ग के लिए शासकीय आदेशानुसार अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कालेज यू.जी.सी. कमेटी :

महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर यू.जी.सी. को भेजे जाने प्रस्तावों को तैयार करने एवं उस संदर्भ के प्राप्त धनराशियों का समुचित उपभोग एवं अन्य कार्यकलापों हेतु इस समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय, शिक्षकों, विद्यार्थियों से सम्बन्धित वित्तीय योजनाओं से लाभान्वित होने के लिये समिति सतत् रूप से प्रयासरत रहती है।

कैरियर और परामर्श सैल :

यह सैल इस महाविद्यालय के छात्रों को विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की संभावनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सैल छात्रों को जटिल और वैश्विक रोजगार के बाजार में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करता है।

महाविद्यालय आन्तरिक मूल्यांकन गुणवत्ता समिति (IQAC) :

उ०प्र० शासन/NAAC द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के बारे में उनके मूल्यांकन/गुणवत्ता के स्तर के उन्नयन एवं अपेक्षित समय में उनकी आख्या तैयार कर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन को उपलब्ध करायी जाती है ताकि उसका समुचित प्रयोग किया जा सके। सभी प्रध्यापकों/विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग एवं स्वयं के मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर क्रियाकपालों के उन्नयन में अपना पूर्ण सहयोग दे ताकि महाविद्यालय का चहुँमुखी विकास हो सके।

उक्त समितियों के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य समितियाँ भी महाविद्यालय एवं छात्र विकास के लिए प्राचार्य एवं प्रबन्धतन्त्र के निर्देश में कार्य कर रहीं हैं।

1. Admission Committee
2. Anti-Ragging/Discipline Committee
3. Alumni Committee
4. College–UGC Committee
5. College Press Committee
6. Cultural Committee
7. Departmental Council
8. Environmental Awareness / Management & Planning Committee
9. Examinaiona Committee
10. Internal Complaint Committee
11. IPR Cell
12. IQAC Cell
13. Library Advisory / Development Committee
14. Maintenance & Infrastructure Committee
15. Medical/First Aid Committee
16. Minority Committee
17. OBC Cell
18. Ph.D. Cell
19. Planning Finance/Purchase Committee
20. Proctorial Board
21. Publication/Magazine Cell
22. RTI Cell
23. SC/ST Cell
24. Sports Committee
25. Student Welfare Cell/Committee
26. Time Table Committee
27. Training & Placement Cell
28. Women Cell
29. Grievance Redressal Committee
30. NSS Committee
31. NCC Committee
32. Rovers & Rangers Committee

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

(क) प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्र अग्रसारित एवं सत्यापित करने हेतु :

1. डॉ. हरीश कुमार, एसो. प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र

(ख) छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिये बोनाफाइड प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.mmcmodinagar.ac.in पर उपलब्ध होगा।

डॉ. मुकेश कुमार, असि. प्रोफेसर, भौतिकी विभाग बोनाफाइड पर हस्ताक्षर कराने हेतु प्रपत्र के साथ शुल्क रसीद, I-card की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(ग) छात्रवृत्ति फार्म में संलग्न जाति प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र को सत्यापित करने हेतु :

डॉ० मयंक मोहन, असि. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)

खेलकूद :

छात्रों के लिए क्रिकेट, भारोत्तोलन, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबिल टेनिस, हॉकी, जूडो तथा एथलेटिक्स आदि की व्यवस्था है। विभिन्न कक्षाओं के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। इसके लिए एक क्रीड़ा–समिति का गठन है। क्रीड़ा कोष से विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं के व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में इकाईयाँ व्यवस्थाबद्ध रूप से कार्यरत हैं। इस संस्था की विशेषता है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी एक जुट होकर सेवा में लगे रहते हैं। कार्य रूप दैनिक तो है ही साथ में विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। यह संस्था जो कार्य कर रही है, उनमें साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, श्रमदान, ग्राम विकास प्राकृतिक प्रकोपों के अवसर पर धन एवं वस्तु संग्रह प्रमुख है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे जन जागरण हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य बनें।

रोवर्स एण्ड रेंजर्स :

इस योजना के अन्तर्गत समस्त विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा तथा उससे सम्बन्धित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वाहन/साइकिल स्टैंड :

महाविद्यालय में मोटर/स्वयं द्वारा चालित वाहन खड़े करने की व्यवस्था है। अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें अन्यथा वाहन जब्त किया जायेगा। जब्त वाहन दण्ड शुल्क का भुगतान पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वाहन चोरी/गुम होने की स्थिति में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। यदि साईकिल स्टैण्ड पर ठेकेदार की व्यवस्था है तो ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा। ठेकेदार न होने की स्थिति में अपने वाहन की स्वयं रक्षा करें। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने वाहन/साइकिल में डबल लॉक का उपयोग करें।

छात्रावास :

छात्रावास समसामयिक परिस्थितियों के कारण संचालन में नहीं है।

कैन्टीन :

महाविद्यालय में कैन्टीन/कैफेटेरिया की व्यवस्था है। जहाँ चाय, कोल्ड ड्रिंक्स एवं स्नैक्स की उपलब्धता है।

शुल्क :

1. शासन/विश्वविद्यालय स्तर से यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो विद्यार्थी परिवर्तित शुल्क जमा करने के लिए बाध्य होगा।
2. प्रवेश के समय जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में नहीं लौटाया जायेगा।
3. सुरक्षित धन प्रस्तावित कक्षा छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात् प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि पर सम्बन्धित विद्यार्थी का कोई अधिकार नहीं होगा।
4. अनुदानित कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. परास्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय नामांकन (एनरोलमैंट) शुल्क भी देना होगा।
6. अनुसूचित जाति के छात्र शुल्क में यदि छूट प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्राप्त करें। जिसके अभिभावक सेवारत हैं, वे संबंधित अधिकारी से वेतन+भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त करें आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष की अवधि के पूर्व का न हो। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जातिगत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रति पूर्ति हेतु अभिभावक की आय सीमा सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शासनादेश के अनुरूप होगी।
7. अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के उन विद्यार्थियों को जो कि छात्रवृत्ति के पात्र हैं, शासन द्वारा निर्धारित अवधि में ही छात्रवृत्ति का फार्म भरकर संबंधित लिपिक के पास जमा कराना होगा। बाद में छात्रवृत्ति का फार्म जमा नहीं होगा। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी अपना बचत खाता बैंक में खोलकर खाता संख्या एवं आधार कार्ड संख्या छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में अवश्य लिखें।
8. विद्यार्थी इस विषय में सचेत रहें कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने की दशा में तथा प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार के जाली प्रमाण पत्रों का प्रयोग न करें। यदि कोई जाली प्रमाण पत्र विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया गया, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस विभाग में की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक की होगी।

छात्रवृत्तियाँ—

1. डॉ. के.एन. मोदी छात्रवृत्ति (दिव्यांग छात्र हेतु)

2. पूज्य माँ जी गिन्नी देवी मोदी छात्रवृत्ति (दिव्यांग छात्रा हेतु)

3. अनिवासी भारतीय छात्रवृत्ति एवं पारितोषक

(रतन लाल-सावित्री देवी गुप्ता स्मृति छात्रवृत्ति एवं पारितोषक)

नोट: वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली उक्त छात्रवृत्तियाँ एवं पारितोषिक का वितरण महाविद्यालय प्रशासन के अंतिम निर्णयानुसार होगा।

पुस्तकालय

महाविद्यालय का केन्द्रीय पुस्तकालय पूर्णत: कम्प्यूटराइज्ड है तथा पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 130000 पुस्तकों का विवरण ऑन लाइन देखा जा सकता है पुस्तकालय में एक बड़ा वाचनालय है जिसमें विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। कामर्स एवं कला संकाय हेतु पुस्तकों के अलग-अलग सैक्शन है। पुस्तकालय में 30 शोध जरनल, समाचार पत्र एवं पत्रिकायें छात्रों के पठन हेतु उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में E-Library की सुविधा है तथा इस हेतु 20+1 कम्प्यूटर इन्टरनेट एवं इनफिलब.नैट से सुसज्जित है। केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक विभाग में भी विभागीय पुस्तकालय तथा कुछ विभागों में इन्टरनेट की सुविधा के साथ कम्प्यूटर लैब का निर्माण किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय का लाभ उठाने के लिए इसकी सदस्यता लेनी होगी। परिचय पत्र (Identity Card) प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय द्वारा एक एनरोलमेंट कार्ड दिया जायेगा। छात्र इस कार्ड को भरकर अपने और अपने अभिभावक के हस्ताक्षर सहित पुस्तकालय को लौटा देगा। इस कार्ड को भरकर इस कार्ड को दिखाने पर विद्यार्थी को रीडर्स टिकट (Reader's Ticket) प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक वर्ष इसके नवीनीकरण (Renewel) हेतु पुस्तकालय में विद्यार्थी को परिचय पत्र तथा सम्बन्धित वर्ष के शुल्क की रसीद (Admission Receipt) प्रस्तुत करनी होगी तत्पश्चात् ही कोई पुस्तक पुस्तकालय से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तक प्राप्ति:

इस सम्बन्ध में प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं:

1. पुस्तकालय का प्रत्येक सदस्य रीडर्स टिकट (Reader's Ticket) के अनुसार पुस्तकें ले सकता है।
2. विद्यार्थी की रीडर टिकट के विनिमय में ही पुस्तक दी जायेंगी।
3. रीडर्स टिकट खो जाने पर विद्यार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष को अविलम्ब लिखित सूचना देगा। 5.00 रुपये प्रति टिकट दिये जाने पर पुन: रीडर्स टिकट प्रदान किये जायेंगे।
4. पुस्तक लेने से पूर्व विद्यार्थी को पुस्तक का भली प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि पुस्तक ठीक स्थिति में नहीं है तो उसी समय विभाग को सूचित करें अन्यथा पुस्तक लेने वाले छात्र को ही पुस्तकालय में नई पुस्तक देने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा।
5. सन्दर्भ पुस्तकें घर के लिए नहीं दी जायेगी। सन्दर्भ पुस्तक निम्न प्रकार की है–

(1) शब्द कोष (Dictionaries) (2) विश्वकोष
(3) वर्ष पुस्तकें (4) जीवन सम्बन्धित कोष (5) भूचित्रावली

पुस्तक या पत्रिका को नष्ट करना अत्यन्त निंदनीय कार्य है, जिसके लिए दोषी को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरुता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सदस्यता समाप्त की जा सकती है। **पुस्तक प्राप्ति के एक माह के भीतर पुस्तकें लौटानी होंगी अन्यथा 2/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड देना होगा।**

डॉ. एस. आर. रंगानाथन पुस्तकालय

(व्यवसायिक शिक्षा संकाय)

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2002 में लगभग 1200 वर्गफुट क्षेत्रफल का एक अलग पुस्तकालय स्थापित किया गया। वर्तमान में पुस्तकालय में बी.बी.ए (BBA), बी.सी.ए. (BCA), B.P.E.S. (बी.पी.ई.एस.) NIELIT, 'O' Level and 'CCC', बायोटैक्नोलॉजी (जैव प्रौद्योगिकी) और पुस्तकालय विज्ञान विभागों की 6000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। पुस्तकालय संग्रह में पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, जरनल, पत्रिकाएँ, समाचार पत्र और शोध प्रबन्ध शामिल हैं। पुस्तकालय स्ववित्त पोषित विभाग का एक अभिन्न हिस्सा है और यह शिक्षण/शिक्षा और शोध की प्रक्रिया को बहुत सरल करता है। पुस्तकालय में एक अलग संदर्भ अनुभाग है जिसमें विश्व कोश, शब्द कोश और विविध प्रकार की संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकालय की सदस्यता सभी छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं। सभी पंजीकृत सदस्यों को पुस्तकालय सामग्री का उपयोग करने के लिए दो सदस्यता कार्ड (Membership Card) जारी किए जाते हैं। पुस्तकालय का उन्नतिकरण समय-समय पर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। पुस्तकालय का स्वचालन बार-कोड टैक्नोलॉजी के साथ यू.जी.सी.-इनफ्लिबनेट (UGC-INFLIBNET) द्वारा विकसित साफ्टवेयर SOUL 2.0 के द्वारा किया जा रहा है। पुस्तकालय में ई-संसाधनों के उपयोग हेतु सभी सदस्यों के लिए IT

Zone (इंटरनेट सुविधा) उपलब्ध है। पुस्तकालय के इस भाग में उपयोगकर्ता N-List प्रोग्राम के द्वारा बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें, जरनल इत्यादि का पठन-पाठन कर सकते हैं। पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं के पठन-पाठन के लिए पर्याप्त वाचनालय (reading-room) उपलब्ध है। अब यह पुस्तकालय डॉ. एस.आर. रंगानाथन पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है।

व्यवसायिक शिक्षा संकाय (स्ववित्त पोषित)

व्यवसायिक शिक्षा संकाय, मुलतानी मल मोदी महाविद्यालय मोदीनगर, अपने वर्तमान स्वरूप में महाविद्यालय की मुख्य धारा का अभिन्न अंग होने के नाते पूर्ण विकसित बहुविषयक विभाग के रूप में वर्ष 2002 में स्थापित किया गया है। आरम्भ में जिसकी शुरुआत एम.एस.सी बायो टैक्नोलॉजी एवं DOEACC के 'O' Level पाठ्यक्रम के साथ की गयी। वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत NIELIT, नई दिल्ली से सम्बद्ध पाठ्यक्रम 'O' Level, 'CCC' एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.एस.सी. बायोटैक्नोलॉजी (M.Sc. Biotechnology), बी.बी.ए. (BBA), बी.सी.ए. (BCA) एवं बी. कॉम. (B.Com.) संचालित किये जा रहे हैं। राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा के रूप में यह व्यवसायिक संकाय उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, सरकार एवं सामाजिक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

दृष्टि (Vision)—व्यवसायिक शिक्षा संकाय को एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित करना जो कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समक्ष हो सके।

व्यवसायिक शिक्षा संकाय पाठ्यक्रम के उद्देश्य—

1. व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों से छात्रों को परिचित कराना।
2. व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक रूप में हो रहे विकास के पहलूओं को जाँचना।
3. पेशेवर शिक्षा से सम्बन्धित आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करना।
4. युवा शक्ति को सामूहिक रूप से साथ कार्य करने एवं सीखने के अवसर प्रदान करना।
5. शिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं से छात्रों को अवगत कराना।
6. छात्रों को शिक्षण सामग्री के चयन व उसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने, इसका विश्लेषण करने व प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परीक्षण देना।
7. पेशेवर कर्तव्यों के दौरान समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ समायोजित होकर कार्य करने का प्रशिक्षण देना।
8. लोकतांत्रिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के विकास में सहायता प्रदान करना।

निम्नलिखित विभाग व्यावसायिक अध्ययन संकाय के अन्तर्गत चल रहे हैं:—

(1) बायोटैक्नोलॉजी विभाग (जैव प्रौद्योगिकी)

बायोटैक्नोलॉजी विभाग की स्थापना वर्ष 2002 में की गयी। यह विभाग बायोटैक्नोलॉजी में व्यवसायिक स्तर पर स्नातकोत्तर (M.Sc. Biotechnology, 4 Semester) की उपाधि प्रदान करता है, जो कि चौ. चरणसिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस विभाग में योग्य और समर्पित शिक्षक हैं जो कि छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए तत्पर हैं। छात्रों के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक एवं औद्योगिक जगत से नियमित रूप से पेशेवर विद्वानों को आमन्त्रित किया जाता है।

मुख्य विशेषताएं-

1. आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रयोगशालाएं।
2. कम्प्यूटिंग और वाई-फाई सक्षम इंटरनेट सुविधा भी शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध है।
3. साप्ताहिक सेमिनार और विभिन्न तत्कालीन विषयों पर प्रस्तुतियाँ।

उपलब्धियाँ-

1. विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में छात्रों का चयन (GATE, CSIR/NET, ICMR, DBT)
2. निरन्तर गत वर्षों में विभाग के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया गया।
3. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विभाग के छात्रों का शत-प्रतिशत परिणाम।

4. विभाग के छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों (JNU, NII, NCCS, DU, PGIMER, IARI इत्यादि) के द्वारा शोध (Ph.D.) कर रहे हैं एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी अपनी सेवा दे कर विभाग को गौरवान्वित कर रहे हैं।

मुख्य विशेषताएँ-

1. आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित आई.टी. प्रयोगशाला।
2. कम्प्यूटिंग और वाई-फाई सक्षम इंटरनेट सुविधाएँ।
3. साप्ताहिक सेमिनार और तात्कालिक चुनौतियों के समाधानों पर प्रस्तुतियाँ।

उपलब्धियाँ-

- ⋆ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छात्रों का चयन ।
- ⋆ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विभाग के छात्रों का शत-प्रतिशत परिणाम एवं विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान।
- ⋆ विभाग के छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों (JIWAJI, UNIV, KN MODI UNIV., SUBHARTI UNIV.) से शोध (Ph.D.) कर रहे हैं और शीर्ष संस्थानों में सेवा दे रहे हैं।

(3) कम्प्यूटर साइंस विभाग

कम्पयूटर साइंस विभाग अपने मौजूदा स्वरूप में वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। आरम्भ में इसकी शुरूआत DOEACC के 'O' Level पाठ्यक्रम के साथ हुई। वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत NIELIT (DOEACC), दिल्ली, के तकनीकी कार्यक्रम 'O' Level एवं चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध बी.सी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

छात्रों को व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए विभाग में पेशेवर विद्वान शिक्षक अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। छात्रों एवं संकाय सदस्यों को उत्कृष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग के पास एक विशेष सुविधा यह भी है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के सीखने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध हैं। विभाग में 100 से अधिक कम्प्यूटर व अन्य नवीनतम कम्प्यूटिंग उपकरण के साथ सुसज्जित एयर कंडीशन कम्प्यूटर लैब है।

कम्प्यूटिंग और वाई-फाई सक्षम इंटरनेट सुविधा भी शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध है।

(4) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग

मुलतानीमल मोदी कॉलिज के तत्वावधान में बिजनेस एण्ड मैनेजमेंट विभाग की शुरूआत बी.बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ वर्ष 2009 में हुई। आरम्भ में यह विभाग वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग के एक अंग के रूप में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह एक पूर्ण प्रबन्धन विभाग बन गया है। जिसके अन्तर्गत चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध बी.बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

बी.बी.ए. पाठ्यक्रम—

बी.बी.ए. तीन वर्ष का यह कार्यक्रम युवाओं को उच्च स्तर के पेशेवर प्रबन्धक बनने व उनके नेतृत्व में कार्य करने के दौरान समाज के कल्याण के लिए योगदान करने व उत्कृष्ठ प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास करने के उद्देश्य से बनाया गया है। निरंतर प्रगति पर चल रहे बी.बी.ए. तीन वर्षीय पूर्ण कालिक कार्यक्रम का पाठ्यक्रम दो स्तम्भों पर आधारित है, प्रथम—कार्यात्मक क्षेत्रों में एक मजबूत नींव प्रदान करना और द्वितीय—छात्रों को उच्चस्तर के शैक्षणिक लचीलेपन हेतु सक्षम बनाना, जिससे की छात्र इस लचीलेपन को अपने बी. बी.ए. अनुभव के अनुकूल कर सकें। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रबन्ध के आवश्यक मॉडल और उपकरणों से इस उद्देश्य से परिचित कराया जाता है, जिससे कि उन्हें प्रबन्ध सिद्धान्तों की मजबूत बुनियाद के साथ प्रबन्ध के विभिन्न आयामों व व्यवसायिक ज्ञान में उच्च प्रशिक्षण दिया जा सकें। तीसरे वर्ष में छात्र अपने प्रथम व द्वितीय वर्ष के अनुभव को दर्शाते हुए व्यवसायिक विकास योजनाओं का निर्णय लेते हैं। तीन वर्षों के अपने 360 डिग्री अनुभव के बाद छात्र व्यवसाय, उच्च शिक्षा व नागरिक सेवाओं में अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को छोटे कार्य समूहों व टीमों के साथ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने व प्रयोगात्मक व्यावहारिक उन्मुख वातावरण में उनको व्यावसायिक नेता के रूप में विकसित करता है। यह कार्यक्रम समकालीन व्यापारिक

आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे उद्यमियों को इन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम छात्रों में इस तरह की योग्यता विकसित करता है, जिससे कि छात्र चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सबसे उम्दा प्रदर्शन करें।

टैक्नोलॉजिकल रिसोर्सिस—

प्रबन्धन विभाग में संकाय सदस्यों व छात्रों के लिए अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। विभाग पूरी तरह से वाई-फाई सक्षम है जहाँ छात्र लाइव डाटाबेस, ऑनलाइन पत्रिकाओं और वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँच सकते हैं। विभाग में छात्रों के लिए कम्प्यूटर लैब की सुविधा दी है जहाँ वे ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। विभाग में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे SPSS, E-view, Corel-Draw, RDBMS, Oracle, Visual-Basic, Visual C++ इत्यादि। बिजनेस सिमुलेशन और इन्वेस्टमेंट विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबन्धन पर खेल छात्रों के लिए उपलब्ध है। विभाग अत्याधुनिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से सुसज्जित है।

नोट—

1. **शासन/विश्वविद्यालय स्तर से यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो विद्यार्थी परिवर्तित शुल्क जमा करने के लिए बाध्य होगा।**
2. **प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय यदि किसी नियम में संशोधन करता है तो विद्यार्थी उसे मानने के लिए बाध्य होगा।**
3. **पंजीकरण एवं प्रवेश से सम्बन्धित सभी सूचना महाविद्यालय के सूचना पट पर देखें।**
4. **विद्यार्थी पंजीकरण, प्रवेश, परीक्षा फार्मों सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuuniv.ac.in पर देखें।**
5. **प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति माहवार एवं माह में प्रत्येक 10-10 दिन की आगणित की जाती है। शासनादेश संख्या-2186/सत्तर-1-97-15(3)/97 दिनांक 12 नवम्बर 1997, शासनादेश संख्या- रिट-29/सत्तर-2-2014-16/(246)/2010 दिनांक 13 फरवरी 2014, शासनादेश संख्या-252/सत्तर-1-2014 दिनांक 12 मार्च 2014 के अनुसार विद्यार्थी की उपस्थित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75% अनिवार्य है। विद्यार्थी उपस्थिति सम्बन्धी किसी भी शिथिलता के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा एवं महाविद्यालय ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की कोई भी सहायता नहीं कर सकेगा।**
6. **चौ. चरण सिंह. वि.वि. मेरठ, प्रवेश नियम शैक्षिक सत्र 2021-22 महाविद्यालय की वेबसाइट** www.mmcmodinagar.ac.in **व विश्वविद्यालय वेबसाइट** www.ccuniversity.ac.in **पर उपलब्ध कराये जाते हैं।**

U.G. FEE CHART FOR THE SESSION 2023 - 2024

FEES - ANNUAL FEES FOR ALL STUDTENTS

FEE HEADS	BA I *	BA I BCOM I	BA II/ III *	BA II/ III BCOM II/ III	BSC I MATH/ STAT	BSC II/ III MATH/ STAT	BSC I BIO.	BSC II/ III BIO.
TUITION FEE (Only Boys) *	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
ADMISSION FEE	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
S.R.FEE*	3.00	3.00	...	...	3.00	...	3.00	...
D.A. FEE	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
LIBRARY FEE	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
SCIENCE FEE	...	...	...	...	480.00	480.00	720.00	720.00
HOT & COLD FEE	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
REGISTRATION FEE (GOVT.)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
TOTAL	**461.00**	**461.00**	**458.00**	**458.00**	**941.00**	**938.00**	**1181.00**	**1178.00**
GAMES FEE	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
READING ROOM FEE	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
MAGAZINE FEE	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
IDENTITY CARD FEE	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
SECURITY (REFUNDABLE)	300.00	300.00	...	...	400.00	...	400.00	...
DEVELOPMENT FEE	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
STUDENT WELFARE FUND	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
STUDENT AID FUND	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
MEDICAL FEE*	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
REGISTRATION FEE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
UNI. INTERNET FEE	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
SANSKRITIC SAHITYA PARISHAD	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
ROVERS,RANGERS FEE	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
M.S. / INTERNAL SEM. EXAM FEE	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
PHY. EDU. PRACTICAL FEE *	240.00	...	240.00	...	...	...	...	...
TOTAL	**1006.00**	**766.00**	**706.00**	**466.00**	**866.00**	**466.00**	**866.00**	**466.00**
*** G.TOTAL for Boys**	**1467.00**	**1227.00**	**1164.00**	**924.00**	**1807.00**	**1404.00**	**2047.00**	**1644.00**
*** G.TOTAL for Girls**	**1335.00**	**1095.00**	**1032.00**	**792.00**	**1675.00**	**1272.00**	**1915.00**	**1512.00**

P.G. FEE CHART FOR THE SESSION 2023 - 2024

FEES - ANNUAL FEES FOR ALL STUDTENTS

STUDENTS AS →	NEW	OLD	NEW	OLD		NEW	OLD	NEW	OLD
	MA/MCOM I	MA/MCOM I	MA II /MCOM II	MA II /MCOM II		MSC I	MSC I	MSC II	MSC II
FEE HEADS	MSC MATH I	MSC MATH I	MSC MATH II	MSC MATH II					
TUITION FEE (Only Boys) *	180.00	180.00	180.00	180.00		180.00	180.00	180.00	180.00
ADMISSION FEE	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00	3.00
S.R.FEE	3.00	--	3.00	---		3.00	--	3.00	---
D.A. FEE	42.00	42.00	42.00	42.00		42.00	42.00	42.00	42.00
	36.00	36.00	36.00	36.00		36.00	36.00	36.00	36.00
SCIENCE FEE	---	--	---	---		240.00	240.00	240.00	240.00
HOT & COLD FEE	240.00	240.00	240.00	240.00		240.00	240.00	240.00	240.00
REGISTRATION FEE(GOVT.)	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00
TOTAL	**509.00**	**506.00**	**509.00**	**506.00**		**749.00**	**746.00**	**749.00**	**746.00**
GAMES FEE	65.00	65.00	65.00	65.00		65.00	65.00	65.00	65.00
READING ROOM FEE	18.00	18.00	18.00	18.00		18.00	18.00	18.00	18.00
MAGAZINE FEE	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00	75.00	75.00	75.00
IDENTITY CARD FEE	15.00	15.00	15.00	15.00		15.00	15.00	15.00	15.00
SECURITY (REFUNDABLE)	400.00	100.00	400.00	...		500.00	100.00	500.00	...
DEVELOPMENT FEE	36.00	36.00	36.00	36.00		36.00	36.00	36.00	36.00
STUDENT WELFARE FUND	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00
STUDENT AID FUND	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00
MEDICAL FEE	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	12.00
REGISTRATION FEE	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
UNI. INTERNET FEE	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00
SANSKRITIC SAHITYA PARISHAD	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	12.00
INTERNAL SEM EXAM FEE	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
ROVERS, RANGERS FEE	24.00	24.00	24.00	24.00		24.00	24.00	24.00	24.00
M.S. FEE	35.00	35.00	35.00	35.00		35.00	35.00	35.00	35.00
TOTAL	**922.00**	**622.00**	**922.00**	**522.00**		**1022.00**	**622.00**	**1022.00**	**522.00**
*** G.TOTAL for Boys**	**1431.00**	**1128.00**	**1431.00**	**1028.00**		**1771.00**	**1368.00**	**1771.00**	**1268.00**
*** G.TOTAL FOR GIRLS**	**1251.00**	**948.00**	**1251.00**	**848.00**		**1591.00**	**1188.00**	**1591.00**	**1088.00**

FACULTY OF PROFESSIONAL STUDIES & TRAINING CENTRE
FEE STRUCTURE SESSION-2023-2024

Heads	B.B.A.	B.C.A.	B.Com.	M.Sc. Biotechnology	O' Level
Session	**2023-2026**	**2023-2026**	**2023-2026**	**2023-2025**	**2023-2024**
Tution Fee	20,000.00	20,000.00	7,500.00	26,000.00	8,500.00
Lab Fees (Including Computer Facility)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00
Library Fees(Books & Journals)	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00
Development Fees with Hot & Cold	4,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00
Academic Activities/ Sports Activities & Other	2,000.00	2,000.00	500.00	3,000.00	500.00
Caution Money Only in 1st Year(Refundable)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
Exam. Fees (Extra)	As per University norms				As per NIELIT norms
Total Fees	**31,500.00**	**31,500.00**	**13,500.00**	**41,000.00**	**16,000.00**

*Fee Discount for Meritorious Students in B.B.A., B.C.A. & M.Sc.(Biotechnology) Courses.

90% or above in 10+2/UG -50% Less in Tuition Fee

80% or above in 10+2/UG -30% Less in Tuition Fee

75% or above in 10+2/UG -25% Less in Tuition Fee

Note: 01- No discount will be allowed in B.Com. Course (Self Finance), Fees is to be deposited in single Instalment only.

02- Discount will be calculated on Qualifying Degree/Course.

03- Fee in BBA, BCA, M.Sc.(Biotechnology) and 'O' Level is to be deposited in two Instalments only.

04- All students have to deposit library books immediately after the completion of academic session. No amount of caution money will be refunded in any case, If students does not return the books within time.

05- Rs.1000/-(One Thousand only) discount in fees for 'O' level if full fees deposited in singale Instalment.

(Prof. Deepak Kumar Agarwal)
Principal

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के अध्ययन केन्द्र (2707) की स्थापना वर्ष 1985 में मुल्तानीमल मोदी कॉलेज में हुई।

वर्तमान में डॉ. अरूण कुमार मौर्या, समन्वयक, Asstt. Prof., वनस्पति विभाग के नेतृत्व में अध्ययन केन्द्र पर छात्रों को परम्परागत एवं तकनीकी उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा अति कम शुल्क में प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। अध्ययन केन्द्र पर छात्रों को उच्च शिक्षा एवं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों के द्वारा समय-समय पर कैरियर से सम्बन्धित जानकारी संगोष्ठी एवं व्याख्यानों के माध्यम से दी जाती है।

इन पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र एवं स्वयं आकर प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार (सायं 04.00 बजे से 06.00 बजे तक) रविवार (10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक) को प्राप्त की जा सकती है।

एम० बी०ए० एवं अन्य कोर्स की विस्तृत जानकारी, आवेदन-पत्र व स्टूडैंट हैण्ड बुक व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपरोक्त दिवसों में प्राप्त की जा सकती है। अति कम शुल्क में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए या नौकरी करते हुए भी इग्नू द्वारा संचालित महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र पर निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा यदि शुल्क परिवर्तन किया जाता है तो विद्यार्थी द्वारा देय होगा।

नोटः अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है।

S.No.	Programme	Duration	Eligibility	Medium
1	MBA	3 years	Bachelor's Degree + 3 Year Experience or Post Graduation	English
2	MCA	3 years	Bachelor's Degree	English
3	M.Com.	2 years	Bachelor's Degree	English/Hindi
4	BCA	3 years	10+2	English
5	B.Sc. (PCM.CBZ)	3 years	10+2	English/Hindi
6	B.Com.	3 years	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi
7	BA	3 years	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi
8	PGDIBO	1 year	Bachelor's Degree	English/Hindi
9	PGDT	1 year	Bachelor's Degree	Hindi
10	PGDAST	1 year	Bachelor's Degree	English
11	PGDRD	1 year	Bachelor's Degree	English/Hindi
12	DCE	6 months	10+2	English
13	BPP	6 months	No formal qualification	English/Hindi
14	CIT	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English
15	CNCC	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi
16	CDM	6 months	10+2 or BPP for IGNOU	English/Hindi

* Fees applicable as per IGNOU.

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में संचालित पाठ्क्रमों का विवरण

महाविद्यालय में उ०प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के द्वारा जुलाई 2003 से अध्ययन केन्द्र (S053) चलाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। विगत वर्षों से इस महाविद्यालय को उ०प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का केन्द्र भी बनाया जा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए आप **डॉ० दीपक शर्मा, समन्वयक,** अध्ययन केन्द्र मोदीनगर से **मोबाइल नं० 9927722107, 9456607598** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

1. विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के साथ-साथ वार्षिक परीक्षा प्रणाली भी लागू की गई है।

(क) वार्षिक पद्धति पर आधारित पाठ्यक्रम—

(i) स्नातक कला, स्नातक वाणिज्य, बी.ए. पर्यटन एवं स्नातक विज्ञान।
(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम (कला वर्ग, विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग)
(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम
(iv) डिप्लोमा कार्यक्रम
(v) एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम (कला-विज्ञान)

(ख) सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रम-

(i) स्नातक कार्यक्रम (BCA, BBA)
(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम (MJ, M.Sc., Computer Science, MCA and MBA)
(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (प्रबंधन, कम्प्यूटर, कृषि, योग एवं पत्रकारिता से सम्बन्धित कार्यक्रम)
(iv) डिप्लोमा कार्यक्रम (प्रबंधन, योग एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रम)
(v) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
(vi) नॉन-क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम

2. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन, यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., आर.सी.आई. एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त हैं।
3. शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जैसे-ऑन-लाइन प्रवेश फार्म, परीक्षा समय-सारणी, परीक्षाफल विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण, अधिन्यास, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण, परामर्श कक्षाओं की समय-सारणी इत्यादि की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.in एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा एकल विषय में द्वि-वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम कला एवं विज्ञान में प्रवेश प्रारम्भ किया गया है।
5. फीस जमा करने के 24 घण्टे बाद शिक्षार्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन लिंक पर पुनः जाकर निम्न जानकारियों की प्रविष्टि कर अपना प्रवेश आवेदन फार्म जनरेट करेंगे।
   (a) ई-चालान नम्बर
   (b) बैंक जनरल नम्बर
   (c) मोबाइल नम्बर
6. शिक्षार्थी अपने फार्म का प्रिन्टआउट निकालकर निम्न कार्य करेंगे-
   (a) फार्म में पूछी गई जानकारियों को फार्म में भरेंगे।
   (b) सम्बन्धित स्थान पर पासपोर्ट आकार के फोटो को शिक्षार्थी स्वयं अपलोड करेंगे।
   (c) हस्ताक्षर वाले स्थान पर शिक्षार्थी स्वयं हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे।

7. शिक्षार्थी अपने अध्ययन के लिए चयनित अध्ययन केन्द्र पर निम्नानुसार अपना आवेदन जमा करेंगे–
   (a) पूरित आवेदन फार्म।
   (b) ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति।
   (c) सम्बन्धित योग्यता प्रदायी शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति।
   (d) एण्टी रैगिंग शपथ–पत्र की मूल प्रति।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करते ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. से उसके प्रवेश सुनिश्चित होने की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
9. अध्ययन केन्द्र द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश को कन्फर्म करते ही शिक्षार्थी की नामांकन संख्या जनरेट हो जाएगी। साथ ही शिक्षार्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से नामांकन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
10. शिक्षार्थी अपनी नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लिंक पर प्रविष्टि करके अपने भरे हुए फार्म का प्रिन्टआउट निकाल सकेंगे।

नोटः- **IGNOU, UPRTOU** एवं **NIELIT** द्वारा संचालित कोर्स/डिग्री कार्यक्रम महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुये साथ–साथ किए जा सकते हैं। अतः समस्त विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त संस्थानों के जो कोर्स/विषय इस महाविद्यालय में संचालित हैं उनमें प्रवेश लेकर लाभान्वित हों।

COURSES OFFERED AT UPRTOU STUDY CENTRE (S-053)

S.NO.	PROGRAMME	S.NO.	PROGRAMME	S.NO.	PROGRAMME
1.	B A	23.	PGDTM	45.	CTEIM
2.	B A in Tourism	24.	PGDVGCC	46.	CAC
3.	M A	25.	PGDDE	47.	CRJMC
4.	B.COM	26.	PGDCWH	48.	CCC
5.	M.COM	27.	PGDGSW	49.	CDM
6.	M.Sc (Computer Science)	28.	PGDESD	50.	CTS
7.	BBA	29.	PGDDTN	51.	CTC
8.	MBA	30.	DIP	52.	CTM
9.	BCA	31.	DHEN	53.	CCP
10.	MCA	32.	DCDN	54.	CAC
11.	MJ	33.	DECE	55.	CCMAP
12.	PGDJMC	34.	DRD	56.	APDF
13.	PGDRJMC	35.	DIC	57.	APHFE
14.	PGDCA	36.	DCOM	58.	APCCN
15.	PGDIMB	37.	DIHT	59.	APNF
16.	PGDHRD	38.	DTS	60.	APCNF
17.	PGDEA	39.	DDN	**YOGA COURSES**	
18.	PGDFM	40.	CCCN	61.	APY
19.	PGDMM	41.	CNF	62.	CCY
20.	PGDPM	42.	CHR	63.	DYS
21.	PGDT	43.	CHFE	64.	PGDYO
22.	PGDCP	44.	CWED		

MULTANIMAL MODI COLLEGE, MODINAGAR

MAIN ADMISSION COMMITTEE 2023-24

1.	PROF. DEEPAK KUMAR AGARWAL	OFF. PRINCIPAL
2.	PROF. B.C. PANDEY	INCHARGE ADMISSION COMMITTEE & COORDINATOR-ART FACULTY
3.	PROF. VINAY KUMAR TYAGI	COORDINATOR-SCIENCE FACULTY
5.	PROF. VANDANA SHARMA	COORDINATOR-WOMEN CELL/ICC
6.	PROF. HARISH KUMAR	CHIEF PROCTOR

ADMISSION COMMITTEE

B.Sc. I (Maths & Statistics) Group	B.Sc. I (Bio) Group	B.Com. I	B.A. I
PROF. SUBODH KR. RANA	DR. DEEPSHIKHA	DR. VED PRAKASH	PROF. MAYANK
DR. SHIVANGI TRIVEDI	DR. MANISHA BALIYAN	PROF. SEEMA RAJ	DR. MAYANK MOHAN
MR. ARUN PAL	DR. SHIV PRAKASH	MR. HARISH KUMAR	DR. NEETU SINGH

B.Sc. II (Maths & Statistics Group)	B.Sc. II (Bio) Group	B.Com. II	B.A. II (A TO M)	B.A. II (N TO Z)
DR. MUKESH KUMAR	MR. SURENDRA KR. MISHRA	DR. HIMANSHU KR. PANDEY	DR. ROHTASH	DR. BULBUL GUPTA
MR. MANJEET	DR. POONAM CHAUDHARY	MR. SUMIT YADAV	MRS. MANJULATA	DR. SUDHIR KUMAR

B.Sc. III (Maths & Statistics Group)	B.Sc. III (Bio) Group	B.Com. III	B.A. III
DR. RAJPAL TYAGI	DR. SUJATA	MR. HARISH KUMAR	DR. SHARWAN KUMAR
DR. VAISHALI YADAV	DR. MONA NAGPAL	MR. SUMIT YADAV	DR. SUNITA SIROHI

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Estd. 1957

POST GRADUATE ADMISSION COMMITTEE

Faculty of Science

01. Porf. Vinay Kumar Tyagi	Admission Incharge (M.Sc. Statistics)
02. Porf. M.Q. Ansari	Admission Incharge (M.Sc. Chemistry)
03. Porf. N.K. Gaur	Admission Incharge (M.Sc. Maths)
04. Porf. Basudha Sharma	Admission Incharge (M.Sc. Botany)
05. Porf. Shushma Srivastava	Admission Incharge (M.Sc. Zoology)
06. Dr. Aman Pal Singh	Admission Incharge (M.Sc. Physics)

Faculty of Arts

01. Porf. B. C. Pandey	Admission Incharge (M.A. English)
02. Porf. Vandana Sharma	Admission Incharge (M.A. Hindi)
03. Porf. Asha Yadav	Admission Incharge (M.A. History)
04. Porf. Harish Kumar	Admission Incharge (M.A. Pol. Science)
05. Dr. Mayank Mohan	Admission Incharge (M.A. Economics)
06. Dr. Prachi Aggarwal	Admission Incharge (M.A. Sanskrit)

Faculty of Commerce

01. Dr. Ved Prakash	Admission Incharge (M.Com.)

Note: Admission Login & Fee submission for science & Arts faculty will be done as mentioned above. If any teacher wants to login Admission forms in their department, they can, but in last they must submit login report and Admission form with fee slip in office.

MULTANIMAL MODI COLLEGE MODINAGAR तमसो मा ज्योतिर्गमय Estd. 1957

Dr. Deepak Kr. Agarwal
Principal

COMMERCE DEPARTMENT

01. Dr. Ved Prakash
02. Dr. Himanshu Kr. Pandey
03. Mr. Sumit Yadav
04. Mr. Harish Kumar
05. Vacant

STATISTICS DEPARTMENT

01. Prof. Vinay Kumar Tyagi
02. Prof. Seema Raj
03. Mr. Arun Pal
04. Mr. Pushpendra Kumar

CHEMISTRY DEPARTMENT

01. Prof. M.Q. Ansari
02. Prof. Ravi kumar
03. Dr. Deepshikha
04. Prof. Mayank
05. Dr. Mamta Gupta
06. Dr. Rajpal Tyagi
07. Dr. Komal Gupta
08. Ms. Shivani Trivedi
09. Mr. Shiv Prakash
10. Mr. Anuj Maurya
11. Vacant
12. Vacant

MATHS DEPARTMENT

01. Prof. N.K. Gaur
02. Prof. Subodh Kumar Rana
03. Dr. Poonam Chaudhary
04. Mr. Deepak Gupta

PHYSICS DEPARTMENT

01. Prof. Vijay Garg
02. Dr. Amanpal Singh
03. Dr. Mukesh Kumar
04. Dr. Surendra Kumar Mishra
05. Mr. Manjeet
06. Mr. Yogesh Kumar
07. Mr. Mohit Kumar
08. Vacant

BOTANY DEPARTMENT

01. Prof. Basudha Sharma
02. Dr. Arun Kumar Maurya
03. Smt. Sujata
04. Mr. Yogendra Prasad Saksena
05. Dr. Amar Singh Kashyap
06. Dr. Mona Nagpal
07. Mr. Anupam Awasthi
08. Dr. Vaisahli Yadav
09. Vacant
10. Vacant

ZOOLOGY DEPARTMENT

01. Prof. Shushma Srivastava
02. Dr. Neetu Singh
03. Sh. Dinesh Kumar
04. Sh. Shrikant Gautam
05. Dr. Manisha Baliyan
06. Ms. Kumkum Gautam
07. Mr. Virendra Kumar
08. Mrs. Poonam Kumari
09. Vacant

ENGLISH DEPARTMENT

01. Prof. Bipin Chandra Pandey
02. Dr. Bulbul Gupta
03. Vacant

HINDI DEPARTMENT

01. Prof. Vandana Sharma
02. Prof. Jai Pprakash Yadav
03. Dr. Vijay Bhadur Tripathi
04. Vacant

HISTORY DEPARTMENT

01. Prof. Asha Yadav
02. Dr. Vivek Sheel
03. Prof. Krishan Kant Sharma
04. Dr. Sunita Sirohi

POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT

01. Prof. Harish Kumar
02. Dr. Rohtash
03. Dr. Sudhir Kumar
04. Mr. Raj Kumar
05. Sh. Arun Kr. Singh
06. Vacant
07. Vacant

ECONOMICS DEPARTMENT

01. Dr. Mayank Mohan
02. Prof. Sharavan Kumar
03. Vacant
04. Vacant

SANSKRIT DEPARTMENT

01. Dr. Prachi Aggarwal
02. Mrrs. Manju Lata
03. Vacant

PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT

01. Mr. Saurabh Pal

LIBRARY (SELF FINANCE)

01. Mrs. Khushboo Bhatnagar
02. Mrs. Bhawna

MANAGEMENT DEPARTMENT

01. Mr. Amit Tyagi
02. Mr. Abhinay Bhardwaj
03. Mr. Lovlesh Kumar
04. Mr. Ashutosh Kumar

COMPUTER DEPARTMENT

01. Mr. Rohit Pal
02. Mr. Vishal
03. Mr. Puneet Sharma

BIOTECHNOLOGY DEPARTMENT

01. Ms. Richa Yadav
02. Ms. Anjali Rajput

B.P.E.S. (SF)

01. Dr. Kumud

OFFICE (Class III)

Vacant	Office Supdtt.
Mr. Pawan Kumar Bhatnagar	Steno
Mr. Sanjay Kumar Maskara	Asstt. Accountant
Mr. Satya Pal Singh	Assistant
Mrs. Neetu	Assistant
Mr. Sunil Kumar	Assistant
Mr. Saurabh	Assistant
Vacant	Assistant
Vacant	Assistant
Vacant	Assistant

OFFICE (Class IV)

Mr. Leelu	Sweeper
Mr. Hem Singh	Class IV
Mr. Satnam	Gardner
Mr. Praveen	Gardner
Mr. Kunwar Pal	Class IV
Vacant	Jamadar Peon
Vacant	Daftari
Vacant	(6 Post)
Vacant	(Chowkidar)
Vacant	(Chowkidar)

LIBRARY (Class III)

Vacant	Librarian
Dr. Pradeep Sharma	Lib. Asstt.
Mrs. Seema Sharma	Lib. Asstt.
Vacant	Lib. Asstt.

LIBRARY (Class IV)

Mr. Anoop Kumar	Class IV
Mr. Sanjeev Kumar	Class IV
Vacant	Book Lifter

LABORATORIES (Class III)

Mr. Subhash Chand	Lab Assistant
Dr. Sanjay Sharma	Lab Assistant
Mr. Navin Mittal	Lab Assistant
Mr. Sunil Yadav	Lab Assistant
Mr. Kishan Pal	Lab Assistant
Mr. Anuj Bhatnagar	Lab Assistant
Vacant	Lab Assistant
Vacant	Lab Assistant
Vacant	Lab Assistant

LABORATORIES (Class IV)

Mr. Rajendra Singh	Lab Bearer
Mr. Ashok Kumar	Lab Bearer
Mr. Suresh Kumar	Lab Bearer
Mr. Vinod Kumar	Lab Bearer
Vacent	Mechanic
Vacent	Gasman
Vacant	Lab Bearer (7 Post)

MULTANIMAL MODI COLLEGE MODINAGAR Estd. 1957

MULTANIMAL MODI COLLEGE, MODINAGAR

FACULTY OF PROFESSIONAL COURSES

MAIN ADMISSION COMMITTEE

01. Prof. Deepak Kr. Agarwal	Principal
02. Prof. B. C. Pandey	Incharge Admission Committee

M.Sc. Biotechnology	01. Ms. Richa Yadav
	02. Km. Anjali Rajpoot
B.B.A.	01. Mr. Amit Tyagi
	02. Mr. Lovlesh Kumar
B.C.A.	01. Mr. Rohit Pal
	02. Mr. Abhinay Bhardwaj

Note: It is compulsory for all the students of Professional courses BBA, BCA, M.Sc. (Biotechnology) will come to the college in prescribed uniform by College administration.

MULTANIMAL MODI COLLEGE • MODINAGAR
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Estd. 1957

विद्यार्थियों के लिये अनुदेश

1. विद्यार्थी अपना **परिचय पत्र (I-Card)** महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें।
2. विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूमपान, तम्बाकू, गुटखा या मद्यपान करना वर्जित है।
3. किसी भी छात्र/छात्रा के लिये महाविद्यालय प्रांगण में मुँह पर कपड़ा आदि ढकना प्रतिबन्धित है। महाविद्यालय के परिसर के प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रवेश फार्म में उल्लेखित फोटो के अनुसार ही उपस्थित होगा।
4. महाविद्यालय प्रांगण या शिक्षककक्ष में विद्यार्थियों द्वारा जन्मदिन या अन्य अवसरों पर केक नहीं काटा जायेगा। जिससे अनुशासन बना रहे।
5. किसी भी प्रकार का धारदार या प्रतिबन्धित हथियार महाविद्यालय में अपने पास रखना दण्डनीय अपराध होगा।
3. विद्यार्थी अपना वाहन स्वयं के जोखिम पर महाविद्यालय के वाहन स्टैण्ड पर ही खड़ा करें। वाहन चोरी होने अथवा वाहन में से कोई धन/वस्तु चोरी की दशा में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
4. यदि साईकिल स्टैण्ड पर ठेकेदार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वाहन की जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी।
5. विद्यार्थी महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका (Prospectus) को पूर्ण सत्र अपने पास सुरक्षित रखें ताकि समय-समय पर उसमें दिये गये निर्देशों का लाभ उठा सकें।
6. विद्यार्थी अनावश्यक रूप से महाविद्यालय परिसर में न घूमें।
7. पुस्तकों/मैगजीन को पढ़ने के लिए पुस्तकालय के वाचनालय का प्रयोग करें।
8. विद्यार्थी अपना कार्य कार्यालय की खिड़कियों से निर्धारित समयानुसार ही करायें। कार्य का स्थल समय बाहर दीवार पर अंकित है।
9. विद्यार्थियों को कार्यालय से अंकतालिका प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्राप्त करके कार्यालय की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा।
10. विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें, पुस्तकालय में वापिस जमा करा दें तथा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित आर्थिक दण्ड देय होगा।
11. महाविद्यालय में अवकाश विश्वविद्यालय के आदेशानुरूप होंगे।
12. महाविद्यालय के किसी भी द्वार के सामने अपना वाहन खड़ा न करें।
13. विद्यार्थी छात्रवृत्ति का फार्म प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खिड़की पर लिपिक के पास जमा करें।
14. **विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व अपने पास टी०सी०, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तैयार कराकर अवश्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।**
15. **जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तहसील से केवल कम्प्यूटर द्वारा बना होना चाहिए।**
16. प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाये जाते है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा पुलिस में FIR दर्ज करायी जायेगी।
17. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश के समय **आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ताकि शुल्क में छूट का लाभ दिया जा सके। आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय छः माह से अधिक पुराना न हो।
18. प्रवेश स्वीकृति के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
19. स्नातक कक्षा में प्रवेश करने के लिए इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल उत्तीर्ण /पूर्ण होना अनिवार्य है, गलत पंजीकृत होने पर विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
20. प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि बी०एस-सी० गणित, बी०एस-सी० सांख्यिकी, बी०एस-सी० जन्तु, बी०कॉम, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०ए०, एम०ए०-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, रा०शास्त्र, एम०एस-सी०-भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जन्तु, सांख्यिकी, गणित, एम०कॉम०, बी०लिब०, एम०लिब०, एम०एस-सी बायोटैक्नोलोजी में प्रवेश हेतु प्रत्येक कक्षा/विषय में अलग-अलग पंजीकरण कराना होगा। एक विषय/कक्षा से पंजीकरण हस्तान्तरण करने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश हेतु यदि किसी कक्षा में वि.वि. द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक घोषित किए गये हैं तब अनु./जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5% की छूट होगी।
21. कॉलेज प्रवेश-विवरणिका मूल्य ₹ 100 का नकद भुगतान (अप्रतिदेय) कर प्राप्त किया जा सकता है। कॉलेज विवरणिका खरीदने का तात्पर्य कॉलेज में प्रवेश की गारण्टी नहीं है। विवरणिका केवल प्रवेशित अभ्यर्थी ही लें।
22. प्रवेश होने के पश्चात् बैंक से प्राप्त फीस रसीद छात्र सदैव अपने पास सुरक्षित रखें।
23. **रैगिंग एक अपराध है। विद्यार्थी की संलिप्तता पर कठोर दण्ड का प्राविधान है।**
24. **परीक्षा में UFM (नकल) होने पर विद्यार्थी के विरुद्ध नकल अध्यादेश 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।**
25. **ऐसे सभी संस्थागत छात्र जो वाह्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्रवेश के समय महाविद्यालय में Migration Certificate मूल रूप में जमा करना होगा।**

₹ 100/–